न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट **(R.A.S.)**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 18/2020 **(RCMS No. 2020/00043)**

प्रार्थीया

1. बिरदी देवी पत्नी नानूराम जाति कुमावत निवासी बालाजी की ढ़ाणी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नारायणराम पुत्र नानूराम जाट निवासी मुआना तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थित – श्री अनिल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री श्याम सुन्दर चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 31-10-2022

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कुचामनसिटी की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि जिसके खाता संख्या 540 खसरा नम्बर 2944/395 रकबा 0.1618 हैक्टर किस्म चाही 2 आई हुई है, जिसकी प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है, उक्त कृषि भूमि को खरीद करने के समय कृषि भूमि खसरा नम्बर 2944/395 के पाड़ौस निम्न प्रकार से अंकित किये गये है :–

पूर्व– रामूराम की कृषि भूमि

पश्चिम– ओम जी की कृषि भूमि

उत्तर– रास्ता

दक्षिण– हाबू जी की कृषि भूमि

उपरोक्त पाड़ौसियान बीच की कृषि भूमि प्रार्थीनी ने खरीद की तथा उक्त कृषि भूमि पर ही प्रार्थीनी वक्त खरीद से काबिज चली आ रही है तथा वर्तमान में भी काबिज है, अप्रार्थीगण संख्या 1 कृषि भूमि खसरा नम्बर 2945/395 कुल रकबा 0.1618 हैक्टर कृषि भूमि आई हुई है जिसके पाड़ौस निम्न प्रकार से है :–

पूर्व – नानूराम कुमावत की भूमि

पश्चिमी – उगमाराम की भूमि

उत्तर – छीतरराम बोदूराम कुमावत की भूमि

दक्षिण – रास्ता

उपरोक्त पाड़ौसियान बीच पर ही अप्रार्थी संख्या 1 वक्त खरीद से काबिज चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज है, जिसका खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 है, सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थी की कृषि भूमि नक्शा ट्रेस में पश्चिमी तरफ

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सींव पर लगते हुये प्रार्थी का हिस्सा दर्ज होना था तथा अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा उत्तरी तरफ रास्ता छोड़कर उत्तरी तरफ के पूर्वी तरफ हिस्सा दर्ज होना था लेकिन सेटलमेन्ट की भूल प्रार्थी का हिस्सा पूर्वी तरफ नक्शा ट्रेस में दर्शित कर दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा पश्चिमी तरफ सींव पर दर्शित कर दिया गया इस प्रकार मौके की वास्तविक स्थिति को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिये नजरी नक्शा परिशिष्ट " क " साथ प्रस्तुत किया गया है, वर्तमान सेटलमेंट अभियान प्रारम्भ होकर वर्तमान में समाप्त किया है जिसके अनुसार प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को नजरी नक्शे में इन्द्राज सही दर्ज करवाना चाहते हे लेकिन सेटलमेंट कर्मचारियों की भूल से उक्त कृषि भूमि इन्द्राज राजस्व रेकर्ड के नक्शे में गलत दर्शित कर दिया गया है तथा सेटलमेंट अभियान समाप्त हो चुका है इस प्रकार सेटलमेन्ट के दौरान रही भूल को रेक्टीफाईड करने की अधिकारिता माननीय न्यायालय में निहित है, सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण रही भूमि को दुरूस्त करवाकर प्रार्थी अपने हिस्से की कृषि भूमि को नक्शा ट्रेस में पश्चिमी तरफ सींव पर दर्ज करवाना चाहती है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को उत्तरी तरफ रास्ता छोड़कर उत्तरी तरफ में पूर्वी तरफ दर्ज करवाना चाहती है तथा नक्शें में तरमीम करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गय है, प्रार्थीया की इस्तदुआ है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2944/395 रकबा 0.1618 हैक्टर पश्चिमी तरफ सींव पर इन्द्राज नजरी नक्शा ट्रेस में दर्ज कराये जाने के आदेश प्रदान करावें तथा अप्रार्थी संख्या 1 को पश्चिमी तरफ सींवं के स्थान पर उत्तरी तरफ रास्ता छोड़कर उत्तरी तरफ में पूर्वी दिशा में नजरी नक्शा ट्रेस में दर्ज कराये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से इकबाली जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है, अप्रार्थी सं. 2 की ओर से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है।

दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी नकल सम्वत 2062–2065, 2074–2077, नक्शा ट्रेस की नकल, बेचान दस्तावेज 2452/2006 दिनॉक 04.12.2006 की छाया प्रति, बेचान दस्तावेज संख्या 2011002414 दिनॉक 25.08.2011 की छाया प्रति, बेचान दस्तावेज 1630/06 दिनॉक 4.9.2006 की छाया प्रति प्रस्तुत की, मौका रिपोर्ट दिनॉक 31.08.2020 अनुसार बिन्दू ए पर नारायणराम व बिन्दू बी पर प्रार्थीया बिरदीदेवी का कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीया द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार रिलीफ दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई, प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र मे अंकित इस्तदुआ अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया है, अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किये जाने मे किसी प्रकार का एतराज नही जताया है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनॉक 31.08.2020 अनुसार बिन्दू "ए" पर नारायणराम व बिन्दू "बी" पर प्रार्थीया बिरदीदेवी का कब्जा है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा उपरोक्त दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट दिनॉक 31.08.2020 अनुसार बिन्दू ए पर नारायणराम व बिन्दू बी पर प्रार्थीया बिरदीदेवी का कब्जा होना साबित होता है। प्रकरण में अन्य कोई हितबद्व पक्षकार भी नही है तथा उपरोक्तानुसार ही काबिज है, अतः अन्य किसी के हित प्रभावित हो रहे है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार काबिल होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मौका रिपोर्ट दिनॉक 31.08.2020 अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2945/395 बिन्दू ए पर अप्रार्थी नारायणराम व खसरा नम्बर 2944/395 बिन्दू बी पर प्रार्थीया बिरदीदेवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मौका रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगी। मौका रिपोर्ट 31.08.2020 अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनॉक 31.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

क्रमांक/कोर्ट/2022/298 दिनॉक :– 31.10.2022

प्रेषित :– तहसीलदार

कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 18/2020 **(RCMS No. 2020/00043)** बिरदी देवी बनाम नारायणराम वगैरह में पारित आदेश अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 18/2020 **(RCMS No. 2020/00043)** बिरदी देवी बनाम नारायणराम वगैरह में पारित आदेश अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने आदेश की प्रति भिजवाई जा रही है। पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तत करे।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) कुचामन सिटी

क्रमांक/भू.अ/20/941 दिनांक 03/09/2020

प्रेषित:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय:- मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान के पत्रांक/कोर्ट/2020/364 दिनांक 20-08-2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधि० कुचामनसिटी के राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या 18/2020 बिरदीसिंह बनाम नारायण-राम वगैरह में कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नं० 2944/395 की मौका जांच रिपोर्ट भू०अ० निरीक्षक कुचामनसिटी द्वारा तैयार करवाई गई है।

अतः मूल ही मौका जांच रिपोर्ट श्रीमान को भिजवाने सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

03.09.2020
तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

शा० से०
3/9/2020

मौका फर्द

आज दिनांक 31/8/2020 को श्रीमान् तहसीलदार सा० कु. सिटी के आदेश क्रमांक/भू.अ./907 दि. 25.8.2020 की पालना में न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2020/364 दि. 20.8.2020 राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या 8/2020 बिरदीदेवी बनाम नारायणराम वगैरह की मौका रिपोर्ट हेतु कस्बा कुचामनसिटी के ख० नं० 2944/395 रकबा 0.1618 है के मौके पर पहुंचा। मौके पर उपस्थित पक्षकारान के समक्ष राजस्व रिकॉर्ड व मौका स्थिति का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त ख.नं. की खातेदारी बिरदीदेवी पत्नि नाथूराम जाति कुमावत सा. कु. सिटी के नाम दर्ज है। मौके पर उपस्थित पक्षकारान से उक्त ख० नं० की जानकारी ली गई। उपस्थित पक्षकारान व पड़ौसियों ने निम्न नजरी नक्शानुसार वादीया का कब्जा होना बताया।

नजरी नक्शा

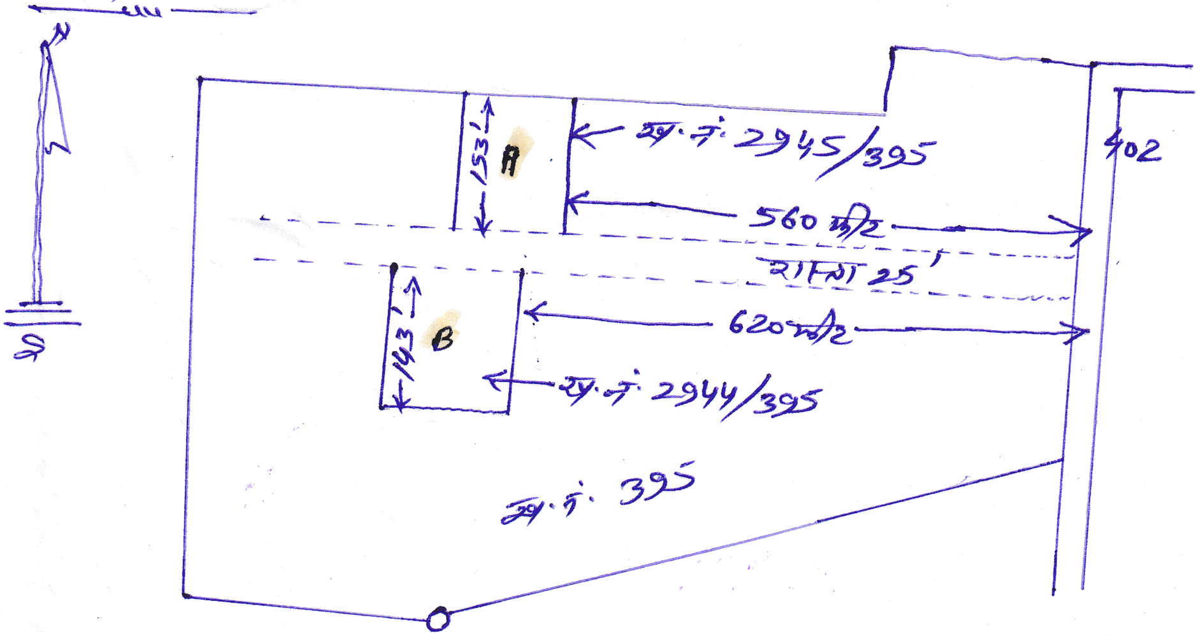

उपरोक्त नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु A पर नारायणराम का व बिन्दु B पर वादीया बिरदीदेवी का कब्जा है। उपस्थित के समक्ष मौका फर्द तैयार कर पढ़कर सुनाई गई व हस्ताक्षर करवाये गये।

31/8/2020
ILR कु. सिटी

नारायणराम
(नारायणराम/नाथूराम)

रामूराम
रामूराम/गंगाराम
कुमावत

अ.नि.
मांगीलाल S/o सुखाराम
कुमावत

R.T.I.
बिरदीदेवी
(वादीया)

तेजाराम
S/o
हाबूराम

5.9.2020